

4-9-24 प्राची द्वारा प्रार्थना-फर वस्त्रे द्वारा 15/11/24
पी.सी. के तहत राजस्व प्रार्थना-फर को
विडा करने बाबत तथा नये तथ्यों के साथ
पुनः राजस्व प्रार्थना-फर प्रस्तुत करने की
अनुमति प्रदान करने बाबत पेश करने पर

अध्यक्ष
परमाणु
दो. र. म.
j. k. s. me b.





सु.नं. 61/24 कल्याण/कालुराम

परावली तलब की गई। पार्टी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थीगण एवं वकील पार्टी को सुना गया। तदनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। पार्टी सं. 1 से उक्त उपासित, जिनकी पहचान वकील पार्टी द्वारा की गई।

चूंकि मूल वाद जरिये विडोल खारिज किया जा चुका है, इस कारण उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से पार्टी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

परावली फेसल बुमाव होकर नम्बर से क्रम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)